बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 178553 पटना, दिनांक 24/02/2014

5/इं.आ.यो.(नि.वि.)-102-42/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा, कटिहार, पूर्णियाँ, बेगूसराय, जमुई, सारण,
गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, भागलपुर,
बांका, मधुबनी, भोजपुर एवं रोहतास,
बिहार ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 की द्वितीय किस्त की केन्द्रांश की विमुक्ति के संबंध में ।**

महाशय,

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 की द्वितीय किस्त की केन्द्रांश की राशि आपके जिले के लिए अभी तक विमुक्त नहीं हुई है । भारत सरकार ने प्रस्ताव पर कुछ पृच्छाएं की हैं जो जिले को संसूचित कर दी गयी है ।

2. अनुरोध है कि पृच्छाओं के निराकरण के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रतिनिधि को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर प्रतिनियुक्त की जाय और उन्हें दिशानिर्देश दिया जाय कि वे वहाँ जाकर पृच्छा का निवारण कराएं तथा जिलों को द्वितीय किस्त विमुक्ति सुनिश्चित कराएं । इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी का ध्यान आकृष्ट करें ।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय किस्त में से कोई भी कटौती होने पर संबंधित उप विकास आयुक्त इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे । अतः तदनुसार उन्हें सुगम समन्वय हेतु निर्देश दिया जाय ।

विश्वासभाजन

21.2.14

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 178553 दिनांक 24/02/2014

प्रतिलिपि :- संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.2.14

प्रधान सचिव